तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.19	बहस बहस हेतु अंतिम अवसर दिया गया। 18.06.19 को पेश हो। तक तक के लिए T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।	
18-06-19	बहस हेतु अवसर वाद। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1.07.19 को पेश हो। तक तक के लिए T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।	
1.7.19	बहुलाल करीम उपस्थित। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अप्रार्थी सं. 1 की मृत्यु होने के कारण उनके कानूनी वारिसों को पक्षकार बनवाने हेतु कार्यवाही करने बाबत अनुरोध किया। वकील प्रार्थी के अभाव में तारीख पेशी पर संबंधित शीघ्र पेश करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान कर पत्रावली 8.7.19 को पेश हो।	
08/07/19	बहुलाल करीम उपस्थित। प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी के अप्रार्थी की मृत्यु होने के कारण प्रा० पत्र वापिस लेने हेतु निवेदन किया। विद्वान प्रार्थी की इस्तदुआ पर प्रा० पत्र प्रार्थी मौजूदा स्तर पर खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.05.15 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले से मुताबिक होकर मूल वाद संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी रामसिंहनगर	प्रतिवादी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज किये।

Scanned by CamScanner